

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

पीठासीन अधिकारी:- श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.

प्रशासन गांवो के संग अभियान-2023

मु.नं.....162...../2023


क्रमांक:- वाद/2023/ 347

दिनांक:- 25-07-2023

आदेश

प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का पायला कला व पायला कला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम डाबलीनाडी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 80 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	डाबलीनाडी	80	रूपाराम पुत्र रुगाराम	रूपाराम चौधरी पुत्र रुघाराम चौधरी



(रामसिंह गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी

दिनांक:- 26.07.2023

क्रमांक:- वाद/2023/ 348 - 350

तिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में  दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट से अवगत करावें।
2. प्रार्थी रूपाराम चौधरी पुत्र रुघाराम चौधरी वगेरहा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।